

trial agitations from time to time. In a growing economy it is necessary to view industrial relations in the perspective of overall dynamic changes in the economy as a whole.

Whenever industrial relations problems have been faced, the major reasons appear to be related to grievances over service conditions, claims for greater wages or fringe benefits, differences between unions representing workers etc.

(c) Government recognise that better industrial relations in the country including in public enterprises have to be fostered by a variety of steps promoting an integrative and participatory relations between labour and management. As part of this objective some of the measures so far taken include:—

1. Consultation with representatives of labour in the formulation of recruitment and promotion policy;
2. Procedure for early redressal of grievances;
3. Energetic implementation of labour welfare measures;
4. Training and education of workers; further role in participation in management;
5. Association of workers in various joint representative structure within each industry; and
6. Inducing in labour and management both a greater sense of trust and participation for achieving national objectives.

12.00 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED BOYCOTT OF U.P.S.C. TEST IN ENGLISH TYPEWRITING

श्री शंकर बयाल सिंह (चतरा): अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोका महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस पर एक वक्तव्य दें:—

“संघ लोक सेवा आयोग की टंकन परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को लेकर दिनांक 27 फरवरी, 1973 को अंग्रेजी परीक्षा के त्याग क समाचार”

गृह मंत्रालय तथा कामिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिश्रा): केन्द्रीय सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में आशु-लिपिकों (ग्रेड II) का एक नियमित संसर्ग है। यह पद रु० 210-530 के वेतनमान में है और केन्द्रीय सचिवालय में इसका दर्जा श्रेणी II के अन्तर्गत आता है। इस ग्रेड में भर्ती सीधी भर्ती के कोटे में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष ली जाने वाली खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती है।

उक्त परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष है। दिनांक 27-2-1973 को ली गई परीक्षा का पाठ्यक्रम (सिलेबस), जो कि 12 अगस्त, 1972 को अधिसूचित किया गया था, निम्न प्रकार था:—
भाग— क लिखित परीक्षा

विषय	अधिकतम अंक
(I) अंग्रेजी	100
(II) सामान्य ज्ञान	100

भाग—ख जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लें उनके लिए आशुलिपि की हिन्दी या अंग्रेजी में परीक्षा . . . 300 अंक

[श्री राजनिवास मिश्रा]

उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) अथवा अंग्रेजी में लिखने का विकल्प है। प्रश्न-पत्र लगभग मेट्रिकुलेशन परीक्षा के स्तर के होते हैं। कुल 500 अंकों में से अंग्रेजी प्रश्न-पत्र के लिए केवल 100 अंक रखे गए हैं।

उन सभी उम्मीदवारों ने जो 27-2-73 को इस परीक्षा में बैठे थे, उन्हें दी गई परीक्षा की अधिसूचित नियमावली के आधार पर आवेदन किया था। वस्तुतः परीक्षा का कोई बहिष्कार नहीं हुआ है। संघ लोक आयोग द्वारा यह सूचित किया गया है कि 1127 उम्मीदवारों में से, जो 27-2-73 को दिल्ली केन्द्र से इस परीक्षा में बैठे थे, केवल एक उम्मीदवार ने विरोध किया और अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र को फाड़ दिया। देश के अन्य केन्द्रों से जहाँ यह परीक्षा ली गई, इस प्रकार की कार्रवाही को कोई सूचना नहीं है।

6. केन्द्रीय सचिवालय में अधिकांश कार्य अभी भी अंग्रेजी में चल रहा है और स्टेनोग्राफरों द्वारा अपना कार्य संतोषजनक और सक्षम रूप से करने के लिए अंग्रेजी भाषा का कुछ ज्ञान कार्यरहित में है। अतएव स्टेनोग्राफरों को भर्ती के समय उनकी अंग्रेजी भाषा की जानकारी की भी परीक्षा ली जाती है।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैंने बड़े ध्यान से गृह राज्य मंत्री के वक्तव्य को सुना जिस की एक प्रतिलिपि थोड़ी देर पहले मेरे पास आ गई थी। इसको पढ़ने के बाद बात सुलझने के बजाय उलझ गई। भाषा का प्रश्न मूलतः रोजी और रोटी का प्रश्न हुआ करता है। इस के सम्बन्ध में इस सदन में न जाने कितनी बार कितनी बातें उठी हैं और उसी क्रम में यह घटना भी घटी है। वक्तव्य में यह कहा गया है कि वस्तुतः परीक्षा का बहिष्कार नहीं किया गया है। लेकिन अखबारों में मान्यवर जो समाचार आए हैं उन में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा का बहिष्कार किया

गया है। यह छापा है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित स्टेनोग्राफर परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता के खिलाफ आज एक परीक्षार्थी कमल किशोर सिंघल ने अपना पेपर फाड़ डाला और परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। मान्यवर संविधान में निश्चित रूप से बात कही गई है भाषा के सम्बन्ध में। धारा 343 (1) में यह लिखा हुआ है :

संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। उसके बाद धारा 351 में यह लिखा हुआ है :

हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उस का विकास करना उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

उसके बाद जो आफिशल लैंग्वेज एक्ट हमने पास किया 1963 में उस में भी ये सभी बातें ज्यों की त्यों कही गईं। तब से लगातार यह प्रयास होता रहा है कि हिन्दी को उसका हक मिले और अंग्रेजी की दासता से हम मुक्त हों। जब मैं हिन्दी की बात कहता हूँ तो मैं साफ यह भी कह देना चाहता हूँ कि किसी भी भारतीय भाषा के मैं विरोध में नहीं हूँ। सभी भारतीय भाषाओं को आदर भाव से हम देखते हैं। जितना आदर हम हिन्दी का करते हैं या जितने आदर का स्थान हम हिन्दी को देना चाहते हैं उतना हम दूसरी भारतीय भाषाओं का भी करते हैं। लेकिन विदेशी भाषा का जो कलंक हमारे माथे पर लगा है पता नहीं वह कब हमारे माथे से मिटेगा। जिस परीक्षार्थी ने परीक्षा का बहिष्कार किया उसका भी परिवार होगा, उसके भी बाल बच्चे होंगे, उसके घर में भी पत्नी बैठी होगी और सोचती होगी कि उसके पति दब परीक्षा देने के लिए गए हैं और उसमें वह उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनकी पदोन्नति होगी और हम को कुछ आर्थिक संबल मिलेगा। जिस परीक्षार्थी ने परीक्षा का बहिष्कार किया उसके मन में न केवल यह बात रही होगी बल्कि दूसरी भावनाएं जो रहती हैं, उनको भी उसने प्रतिबिम्बित किया होगा।

मैं हिन्दी भाषा भाषी हूँ, इसलिए यह बात कहता हूँ या हिन्दी की वकालत करता हूँ ऐसी बात नहीं है। जो जिस प्रान्त में रहता है उसकी जो भी भाषा है उसकी भी मैं वकालत करना चाहता हूँ। स्टेनोग्राफर परीक्षा में हिन्दी के साथ साथ आपने अंग्रेजी की अनिवार्यता भी रखी है। अंग्रेजी के स्थान पर दूसरी भाषाओं को भी अनिवार्य करते, जो जहाँ के स्टेनोग्राफर हैं हिन्दी के साथ साथ उनकी भाषा को भी अनिवार्य आप उनके लिए कर देते, कन्नड़, तेलगु, बंगला पंजाबी आदि सब को उचित स्थान दे देते तो मुझे खुशी होती तब मुझे कुछ कहना नहीं था। लेकिन स्थान आप ऐसी भाषा को दे रहे हैं जो विदेशी हैं, जो हमारे अन्दर विद्वेष पैदा करने की भाषा रही हैं जिस ने हमारे साथ घृणा का बरताव किया है। यह उचित नहीं है। अंग्रेजी साहित्य का मैं आदर करता हूँ। बड़े बड़े मुर्धन्य अंग्रेजी के जो साहित्यकार हो गए हैं उनकी मैं पूजा और अर्चना करता हूँ और उनके ग्रन्थों को मैं पढ़ने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन अंग्रेजी जो दासता की निशानी है, जो घृणा पैदा करने वाली भाषा रही है, जो विदेशी भाषा है, उसका मैं विरोध करता हूँ। जब तक आप शासन में से अंग्रेजी को नहीं हटाएंगे तब तक महात्मा गांधी का राम राज्य नहीं आ पाएगा।

1967 में जब आफिशल लैंग्वेज बिल पर बहस चल रही थी उसमें भाग लेते हुए श्री एस०एम० बनर्जी ने जो कहा था वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। 14 दिसम्बर, 1967 को वाद विवाद में भाग लेते हुए उन्होंने कहा था :

जो लोग अंग्रेजी को रखना चाहते हैं वे उसे हमेशा के लिए रखें हमें कोई एतराज नहीं लेकिन जो अंग्रेजी बोलना या सीखना नहीं चाहते हैं उन पर अंग्रेजी जबदस्ती लाद दी जाए, मैं समझता हूँ कि वह गलत होगा।

मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय इस भावना का आदर करेंगे।

मैं उनके मंत्रालय की 1971-72 की रिपोर्ट की ओर भी उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस साल की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है इस वास्ते पिछले साल की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ही मैं कोट करना चाहता हूँ। उसके खंड क में कहा गया था:

यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए कि 31 मार्च 1972 तक मंत्रालयों / विभागों के अधीन विभागाध्यक्षों को हिन्दी टाइपराइटरों की अपनी शत प्रति-शत आवश्यकता पूरी कर लेनी चाहिए और हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित सभी केन्द्र सरकार के कार्यालयों के अध्याक्षों को अपनी आवश्यकता के 60 प्रतिशत टाइपराइटर खरीद लेने चाहिए।

अगर आप हिन्दी स्टेनोज को प्रोत्साहन नहीं देंगे, उनको सुविधा नहीं देंगे तो जो उद्देश्य आप का है वह कैसे पूरा होगा। जिस विद्यार्थी ने परीक्षा का बहिष्कार किया उसने ऐसा इसीलिए तो किया था।

मैं चन्द सुझाव और सवाल मंत्री महोदय की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

(1) हिन्दी माध्यम वाले स्टेनोग्राफरों के लिए अंग्रेजी भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता तुरन्त हटाई जाय और इस वर्ष 27 फरवरी, 1973 को यह परीक्षा स्थगित की जाये। (2) परीक्षा स्थगित न किये जाने की स्थिति में इस परीक्षा का परिणाम तब तक के लिए स्थगित रखा जाए, जब तक कि हिन्दी माध्यम वाले स्टेनोग्राफरों को अंग्रेजी भाषा की परीक्षा से छूट दे कर उनका हित सुरक्षित न हो जाए। (3) इस प्रकार की अन्य परीक्षाओं में भी हिन्दी माध्यम वालों के साथ भेदभाव न बरता जाए और अंग्रेजी की अनिवार्यता को तुरन्त समाप्त किया

[श्री शंकर दयाल सिंह]

जाये। (4) जो जिस भाषा में काम करता है अथवा नौकरी के लिए परीक्षा देना चाहता है, उस से उस की भाषा की ही परीक्षा ली जाये, न कि भारतीय भाषा माध्यम वालों के लिए अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य बनाए रखा जाए। (5) संशोधित भाषा अधिनियम 1967 की धारा 3(4) को हिन्दी माध्यम वालों पर उसी तरह लागू किया जाये, जिस तरह उसे अंग्रेजी माध्यम वालों पर लागू किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं आप की आज्ञा से राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी के ये वाक्य मंत्री महोदय और सदन की सेवा में रखना चाहता हूँ

अध्यक्ष महोदय : शायद माननीय सदस्य ने गलत समझा है। यह कोई डीबेट नहीं है। इस वक्त आप सिर्फ कोई क्लेरिफिकेशन मांग सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं।

श्री शंकर दयाल सिंह : गांधी जी ने 1917 में कहा था : "हमारे पढ़े-लिखे लोगों की दशा को देखते हुए ऐसा लगता है कि अंग्रेजी के बिना हमारा कारोबार बन्द हो जाएगा। ऐसा होने पर भी जरा गहरे जा कर देखेंगे, तो पता चलेगा कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा न तो हो सकती है और न होनी चाहिए।"

मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय

अध्यक्ष महोदय : आप ने पूछा क्या है, जिस का जवाब मिनिस्टर साहब दें।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं चाहता हूँ कि मैंने जो प्रश्न उठाये हैं, मंत्री महोदय उन का उत्तर दें।

श्री राम निवास मिर्छा : माननीय सदस्य ने जिस भावना से यह प्रश्न उठाया है, उसकी मैं कद्र करता हूँ और उन की कई बातों से मैं

व्यक्तिगत रूप से सहमत भी हूँ लेकिन इस समय प्रश्न बहुत ही सीमित है और वह यह है कि यह जो परीक्षा ली जा रही है, उसमें से अंग्रेजी का अनिवार्य पर्चा हटाया जा सकता है या नहीं। माननीय सदस्य की भावना चाहे कुछ भी हो, वस्तुस्थिति यह है कि इस संसद के द्वारा एक राजभाषा नीति स्वीकार की गई है, जिस के अन्तर्गत एक बहुत लम्बे प्रसें तक के लिए केन्द्रीय सरकार में द्विभाषी दौर का प्रारम्भ हुआ है। इस का मतलब यह है कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषायें केन्द्र में चलेंगी। आज वस्तुस्थिति यह है कि हमारे केन्द्रीय सचिवालय और दफतरों में अधिकतर अंग्रेजी का प्रयोग होता है।

श्री शंकर दयाल सिंह (कोटा) : कियों ?

श्री राम निवास मिर्छा : क्योंकि हमारी नीति यह है और हमारी नीति के अन्तर्गत यह स्वीकार किया गया है। (व्यवधान) अगर माननीय सदस्य चाहें और अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दें, तो इस विषय पर भी बहस की जा सकती है। इस समय सीमित प्रश्न इस परीक्षा के बारे में हैं। चूंकी सरकारी नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में दोनों भाषायें चलती हैं और अंग्रेजी का प्रयोग होता है इसलिए सरकार की मान्यता है कि अंग्रेजी की थोड़ी बहुत जानकारी किसी भी स्टेनोग्राफर के लिए आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकारी काम-काज सुचारु रूप से चले यह पर्चा, रखा गया है।

श्री भागवत शा आषाढ (भागलपुर) :

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह वक्तव्य देख कर और उस के बाद यह जवाब सुन कर और भी अधिक निराशा हुई है। मैं कहना चाहता हूँ कि भाषा के सम्बन्ध में जो अधिनियम इस संसद् ने पारित किया है, केन्द्रीय सरकार उस के कार्यान्वयन में उस का, और संविधान का, निरन्तर हनन कर रही है। मंत्री महोदय ने बताया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत देश में दो-भाषी नीति चलेगी। मैं इस बात

से सहमत हूँ। इस अधिनियम की धारा 3 (4) में कहा गया है :

“...that they are not placed at a disadvantage on the ground that they do not have proficiency in both the languages.”

इसका अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी जानने वाला है, तो उस को हिन्दी न जानने के कारण और अगर कोई व्यक्ति हिन्दी जानने वाला है, तो उस को अंग्रेजी का ज्ञान न होने के कारण कोई असुविधा नहीं होगी। स्टेनोग्राफरों को इस परीक्षा में इस संसद् द्वारा पारित अधिनियम का, और इस देश की भाषा नीति का, खुला हनु गृह मंत्रालय के अधिकारी और सरकार कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अगर अंग्रेजी के स्टेनोग्राफर को हिन्दी की परीक्षा में बैठने की अनिवार्यता नहीं है, तो हिन्दी के स्टेनोग्राफर को अंग्रेजी की परीक्षा में बैठने की अनिवार्यता क्यों हो। सरकार के पास इस का क्या जवाब है? आज एक मैट्रिकुलेट को, जो अंग्रेजी नहीं जानता है, उस परीक्षा में बैठने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है, जिस में अंग्रेजी का पर्चा इतना कड़ा है, जो अंग्रेजी के स्टेनोग्राफर के लिए निर्धारित किया गया है? आखिर एक मैट्रिक पास उम्मीदवार किम तरह अंग्रेजी के स्टेनोग्राफर से बराबरी कर सकता है?

डा० गोविन्द दास के एक पत्र के जवाब में मंत्री महोदय ने 10 फरवरी, 1972 को कहा था कि हिन्दी के स्टेनोग्राफर को कुछ ज्ञान इंग्लिश का होना चाहिए। क्या यह “कुछ ज्ञान” है? क्या मंत्री महोदय ने अंग्रेजी का वह पर्चा देखा है, जो एक मैट्रिकुलेट हिन्दी स्टेनोग्राफर की परीक्षा के लिए दिया गया है?

यह प्रश्न सीमित नहीं है, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है। यह प्रश्न इस रूप में असीमित है कि इस तरह अनिवार्यता लाद कर सरकार हिन्दी जानने वालों को सरकारी

नौकरियों में प्रवेश नहीं देना चाहती है। और अगर वे प्रवेश पा भी जायें, तो इस के अन्तर्गत उन की पदोन्नति नहीं हो सकती है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि पिछले दो वर्ष में स्टेनोग्राफर की परीक्षा में नब्बे प्रतिशत स्टेनोग्राफर वे थे, जो अंग्रेजी जानने वाले थे। मंत्री महोदय के पास इस बात का क्या जवाब है कि इन देश में केन्द्रीय सचिवालय की स्टेनोग्राफर की परीक्षा में नब्बे प्रतिशत व्यक्ति अंग्रेजी जानने वाले थे? इस का कारण यह है कि उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता लाद कर हिन्दी जानने वालों को इसमें जाने से वंचित कर दिया है।

हमारे मंत्रीगण और संसद-सदस्यगण को जब जनता के समर्थन और वोटों की जरूरत पड़ती है, तो वे तमिल तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिन्दी में बोलते हैं। लेकिन यहां आने के बाद वे इन भारतीय भाषाओं के खिलाफ दबाव डालते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ गया है इस सरकार का अवसर की समानता देने का सिद्धांत। इस स्थिति में हिन्दुस्तान के उन करोड़ों बच्चों का क्या होगा, जो केवल मैट्रिकुलेशन तक शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, जो बी० ए० या एम० ए० की डिग्री नहीं ले सकते हैं? मिनिस्ट्रों, उच्चाधिकारियों और बिजनेसमैन के बच्चे माडर्न स्कूल और अन्य पब्लिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर के आई. ए. एस. और आई. पी. एस. में जा सकते हैं, लेकिन हम किसानों के बच्चे तो मैट्रिकुलेट होने के बाद स्टेनोग्राफर की परीक्षा में ही बैठ सकते हैं। लेकिन सरकार संविधान का हनु करके, अपने कानून को ताक पर रख कर, देश की जनता को इन नौकरियों से भी वंचित करना चाहती है।

मैं यह नहीं कहता कि अंग्रेजी इस देश में न रहे। अंग्रेजी अवश्य रहे। लेकिन जब अंग्रेजी के स्टेनोग्राफरों पर अनिवार्यता नहीं लादी जाती है, तो फिर हिन्दी के स्टेनोग्राफरों पर क्यों लादी जाती है? मंत्री महोदय ने यह

[श्री भागवत झा आजाद]

भी कहा है कि सेक्रेटेरियेट में अधिकांश काम अंग्रेजी में होता है। क्यों? क्या यह संविधान और इस कानून के अनुरूप है? अगर इस कानून में दो भाषाओं का नियम बनाया गया है, तो उस का मतलब तो यह है कि सचिवालय में अंग्रेजी भी रहेगी और हिन्दी भी रहेगी।

तब आप यह जवाब देते हैं कि अधिकांश अंग्रेजी में है वह क्यों? कहां गई आप की वह कमेटी जिस के अंतर्गत आप हिन्दी का क्रमिक विकास चाहते हैं? अगर विकास चाहते हैं तो उस क्रमिक विकास के अंदर जिस की कमेटी की सभापति प्रधान मंत्री जी है, अंग्रेजी बढ़ रही है और हिन्दी कम हो रही है या हिन्दी बढ़ रही है? आप जवाब दीजिये। मेरा दावा है कि इसके अंतर्गत हिन्दी में काम करने की प्रणाली कम हो रही है। अगर यह बात नहीं है तो मैं जानना चाहता हूँ कि यह दुःपरिणाम क्यों हो रहा है जिस के अंतर्गत 90 प्रतिशत सिर्फ अंग्रेजी वाले आते हैं? और सिर्फ यही नहीं स्वयं उसी गृह मंत्रालय में जहां पर ट्रांसलेशन ब्यूरो है वहां पर एक सीनियर स्टेनोग्राफर के पद की घोषणा हुई। सिर्फ अंग्रेजी वालों को उसमें बुलाया गया। हिन्दी वाले ने कहा कि क्यों नहीं उसमें अपनी पदोन्नति के लिए मैं भी अपनी दरखास्त दूँ? उसने दरखास्त दी तो अनुभव की अनिवार्यता तीन वर्ष से पांच वर्ष बढ़ा दी गई और जब यह खबर अखबारों में निकली कि हिन्दी ट्रांसलेशन ब्यूरो में एक कनिष्ठ हिन्दी स्टेनोग्राफर को पदोन्नति नहीं मिली तो उस पर सी बी आई की जांच हो गई। कितना महान काम किया सी बी आई ने? अखबार में खबर निकली कि एक कनिष्ठ हिन्दी स्टेनोग्राफर को पदोन्नति नहीं मिली तो उस को कहा गया कि तुम्हीं ने यह न्यूज निकलवाई है और उस पर सी बी आई की जांच हो गई। कितना शानदार रेकार्ड है इस सरकार की हिन्दी नीति का?

इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप यह बताइए कि आप इस अनिवार्यता को कब समाप्त करेंगे? अगर आप समाप्त नहीं करते हैं और आपकी द्विभाषी नीति यह कहती है कि अंग्रेजी हिन्दी दोनों चलेंगी तो अंग्रेजी वालों का भी कुछ ज्ञान इस का अनिवार्य रखेंगे या परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर करेंगे क्या? मैं इस के समर्थन में नहीं हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि यह किया जाय।

लेकिन क्या ऐसा करेंगे आप?
(ध्वजधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं घंटी नहीं सुनता। मैं क मिनट और लूंगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप ने जिस अंग्रेजी का हवाला दिया, इस देश का विभाजन किस ने किया? हिन्दी वालों ने तामिल वालों ने या अंग्रेजी वालों ने? आज हरिद्वार में हर की पंड़ी पर बत्री विशाल की महिमा का गीत गाती हुई तामिल की जनता किस भाषा में बोलती है? सोमनाथ में जय सोमनाथ का गान गाती हुई अरब समुद्र के किनारे आसाम की जनता किस भाषा में बोलती है? कन्या कुमारी में सूर्य को अर्घ्य चढ़ाती हुई उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता किस भाषा में बोलती है? अगर वह भाषा नहीं आती आप की सरकार को निश्चय ही आप को और आप की सरकार को बन्द उठाना चाहिए जिस के अनुसार स्टेनोग्राफर और गरीब जनता की आवाज को बन्द किया जाय और यह घंटी भी बन्द कर दी जाय।

श्री राम निवास मिर्षा : माननीय सदस्य का यह कथन कि सरकार संविधान का हनन कर रही है या कानून का उल्लंघन कर रही है अनुचित है। यह प्रश्न जो माननीय सदस्य ने उठाया है इन्हीं महानुभावों ने जिन्होंने परचा फाड़ा, यही इसी मसले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में गए थे कि सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो में जहां पर कि वह काम करते हैं क्या

भाषा नीति होनी चाहिए और उस के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट का फंसला है जो कि में आप की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूँ ।

श्री भागवत झा आज्ञाब : उस की जरूरत नहीं है । उस को तो हम मानते हैं । आप जवाब दीजिए और बातों का ।

श्री राम निवास मिर्चा : आप मानते हैं तो आप यह कैसे कह रहे हैं कि विधान का हनन हो रहा है । बिलकुल हनन नहीं हो रहा और कानून के मुताबिक काम हो रहा है । हाईकोर्ट के एक नहीं अनेक फंसले हैं । इसी खास केस के अंदर फंसला है जो में आप की आज्ञा से सुनाना चाँगा :

“There is nothing to show that the work in the Central Translation Bureau is to be done only in Hindi. The selections to be made are for the posts of stenographers and not only of Hindi stenographers. Obviously, some knowledge of English is essential and no discrimination was involved in laying down the condition of five years experience as stenographer or requiring the candidates to appear in an English paper”.

SHRI BHAGWAT ZHA AZAD : The same for English also—some knowledge of Hindi.

श्री राम निवास मिर्चा : अब माननीय सदस्य का यह कहना है कि अंग्रेजी के साथ हिन्दी भी अनिवार्य की जाये, इस का एक नतीजा तो यह होगा कि जो अहिन्दी भाषी लोग हैं उन पर एक बोझा पड़ेगा । सरकार के प्रशासनिक काम में सुधार होगा या नहीं होगा यह दूसरी बात है . . .

श्री भागवत झा आज्ञाब : हिन्दी वालों पर बोझा नहीं है ।

श्री राम निवास मिर्चा : सरकार यह परीक्षा दूसरों पर बोझा डालने के लिए करती है । भारत सरकार की प्रशासनिक आवश्यक-

कताएँ पूरा करने के लिए भर्ती की नीति निर्धारित की जाती है । इसलिए चूंकि हिन्दी वालों पर अंग्रेजी का कम्प्लेसरी बोझा है इसलिए अहिन्दी भाषा वालों पर हिन्दी का भी बोझा डाला जायें मैं समझता हूँ कि यह तर्कसंगत बात नहीं है ।

श्री राम सहाय पांडे : बोझ की बात नहीं प्रेरणा की बात कहिए ।

श्री राम निवास मिर्चा : इसलिए माननीय सदस्य का जो कथन है कि हम संविधान का हनन कर रहे हैं, बिलकुल गलत है और भारत सरकार की जो भी नीति है, इस परीक्षा के सम्बन्ध में या अन्य किसी परीक्षा के सम्बन्ध में आज जो प्रशासनिक वस्तुस्थिति है उस से हम आखें मूंद नहीं सकते । काम जब अंग्रेजी में चल रहा है और किसी भी कर्मचारी को हम बाध्य नहीं कर सकते कि वह हिन्दी में काम करे या अंग्रेजी में काम करे । वह जिस भाषा में काम करता चाहे हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है पर अब चूंकि वह अंग्रेजी में ज्यादा काम करते हैं इसलिए प्रशासन की आवश्यकता यह है कि अंग्रेजी का भी थोड़ा सा ज्ञान हो । हम उस स्थिति में अभी नहीं पहुँचे कि अंग्रेजी को हटा कर हिन्दी ले आएँ । जब वह स्थिति आएगी तब यह बात जो माननीय सदस्य ने कही है अवश्य हो सकती है और वह स्थिति कब आयेगी यह सदन के हाथ की बात है ।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : अध्यक्ष महोदय, जब आफिशियल लेंगेज बिल बन रहा था और हम कांग्रेस वाले लगभग 100 प्रादमियों ने इस्तीफा लिख कर दिया था प्रधान मंत्री को कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं नहीं तो यह भाषा की नीति ठीक होनी चाहिए । उस समय ये मंत्री नहीं थे । चन्हाण साहब कुछ समय पहले यहां थे, वे चले गए उन्हें पता है कि अनेकों ड्राफ्ट बने और फाड़े गये । एल पी सिंह उस समय सेक्रेटरी थे और चन्हाण साहब ने कहा कि अगर इन के मनोनुकूल तुम भाषा नहीं बनाते हो

[श्री विभूति मिश्र]

तो जो इन्होंने मसौदा दिया है उस मसौदे को हम मानेंगे। तब एल पी सिंह ने हम लोगों के मसौदे के आधार पर यह मसौदा बनाया यह मंत्री जी को पता नहीं है। ये मंत्री जी उस समय मंत्री नहीं थे इसलिए मैं यह बताना चाहता हूँ, इन्होंने जो बयान दिया है इसमें लिखा है इंग्लिश, दूसरी जगह लिखा है मैक्सिम मार्क्स 100। तीसरी जगह लिखा है जनरल नालेज 100 तो जनरल नालेज में तो श्री भाषा आती नहीं। उस में यह लिखते कि जनरल नालेज इन आदर लैंग्वेज लेकिन यह नहीं है। आप वकील हैं, हालांकि मैं वकीलों के खिलाफ हूँ, लेकिन आप वकील हैं, आप पढ़ कर देखिये, इस में जनरल नालेज में हिन्दी नहीं आती है तेलगू नहीं आती है, तमिल नहीं आती है। जिन लोगों ने इम्तहान दिया होगा स्कूल कालेज में उन्हें पना होगा तो यह इन का स्टैटमेंट विरोधाभासी है। दूसरी बात—यह कहते हैं कि इस को पास करने के बाद 300 नम्बर का और आया। 300 नम्बर में हिन्दी भी रहेगी, अंग्रेजी भी रहेगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो इनका पहला है कि मैक्सिम मार्क्स अंग्रेजी में 100 और जनरल नालेज वहाँ लिख दिया 100 इस की सफाई इन्होंने नहीं की, इनका जो बयान है वह विरोधाभास से भरा हुआ बयान है, दूसरे यह कहते हैं कि अंग्रेजी का कुछ ज्ञान जरूरी है, मैं पूछता हूँ कि जो अंग्रेजी का परचा दिया गया था उस को उन्होंने अपने बयान के साथ क्यों नहीं पेश किया? उस को वह पेश करते और हम लोग देखते, वह लोग परीक्षा पास किये हुए हैं, वह देखते कि अंग्रेजी का ज्ञान मैट्रिकुलेट के लायक है या आई ए, या बी ए के लायक है? इस में लिखा है कि मैट्रिकुलेट के लिए है। उस परचे को मंगा कर जाच की जाये और उस में देखा जाय कि वह मैट्रिकुलेशन के लायक है या नहीं है। देश में जो मैट्रिकुलेशन का कोर्स है अंग्रेजी का उस के लायक वह नहीं है।

एक बात मैं श्रीर बताना चाहता हूँ। मैं उस परीक्षार्थी की प्रशंसा करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बिहार में एक आदमी ने जब बटोहिया का गीत गाया अंग्रेजी के खिलाफ तो उसे तीन महीने की सजा हुई, 1914, 1913 या 1912 की बात है, एक बटोहिया का गीत उस ने गाया था। यह पहला परीक्षार्थी है कि जिस ने वायकाट किया। उस दिन एक आदमी बिहार में निकला जिस को तीन महीने की सजा हुई तो लोग हंसते थे। लेकिन आप यह न समझिए कि आप इस को ऐसे ही उड़ा देंगे। यह रोजी रोटी का सवाल हो गया है। इस लिए हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बना और इसी आधार पर नौकरी के आधार पर बना मंत्री महोदय बैठे रहें, वह तो आज आए हैं, मैं 20-22 सालों से देख रहा हूँ कितनी दुनिया बदल गई आगे मुझे यह कहना है कि एक आना टैक्स लगा इंग्लैंड के अंदर और उन्होंने टैक्स नहीं दिया सारे इंग्लैंड में रेवाल्यूशन हुई और चार्ल्स को फांसी हुई पचास वर्ष तक क्रामबेल का राज रहा। इसलिए यह जो अन्याय हो रहा है इस अन्याय को मंत्री महोदय सुधारने की बात करें और जिस स्पिरिट में चव्वाण साहब ने भाषा के बारे में फारमूला बनाया है उस स्पिरिट में उस को देखें। मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में सारे लोग रहें। लेकिन यूनिजन पब्लिक सर्विस कमिशन में जो रिटायर्ड सर्विस के आदमी होते हैं उस को उन का चेयरमेन बना दिया जाता है। उन्हें देश हित की परवाह नहीं रहती है। आज अंग्रेजी जाननेवालों का हिन्दुस्तान में राज है। इन्हीं को सब अधिकार प्राप्त हू, आम जनता का कोई अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप घन्टी बजा रहे हैं, लेकिन जरा सोचिये आप दूसरों को कितना समय देते हैं, आप हमारी रक्षा के लिये हैं घन्टी बजाने के लिये नहीं हैं। आप जितना दूसरों को समय देते हैं, उतना समय हम को भी दें। विरोधी को अपना समझें और हम को दूसरा समझें, यह उचित नहीं है।

इस लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस आदमी ने परीक्षा का बहिष्कार किया उस को बुला कर कहें कि परीक्षा दो। यह सबाल प्रधान मंत्री जी के नाम से दिया गया था, लेकिन अब प्रधान मंत्री जी होम-पोर्ट-फालियों नहीं रखती हैं, भले ही वह पोर्ट-फोलियो ट्रांसफर हो गया है, मैं चाहता था कि प्रधान मंत्री जी इस का जवाब देतीं।

मैं चाहता हूँ मंत्री महोदय इस के बारे में छानबीन करें—दूसरों के कहने से इस को उड़ा न दें, क्योंकि आज नीचे से ऊपर तक अंग्रेजीदार राज्य कर रहे हैं। एक बात देखिये—आज रोजी-रोटी का सबाल इतना कड़ा ही गाया है कि यह न समझिये कि इस गद्दी पर हम ही बने रहेंगे या दूसरा कोई रहेगा। हिन्दी भाषी हिन्दुस्तान में 20 करोड़ से ज्यादा ही हैं। इस लिए आप इन को हिदायत दें की अंग्रेजी के पच्चे को देखा जाय कि वह मेट्रिकुलेशन के स्टण्डर्ड का है या नहीं है। दूसरी बात जो बयान दिया गया है—एक तरफ अंग्रेजी लिखा है और दूसरी तरफ सामान्य ज्ञान लिखा है—यह जो गड़बड़ी है, विरोधाभास है, इस को नोट करें। आफिशियल लैंग्वेजों का कानून हिन्दी की प्रगति के लिए है, हिन्दुस्तान की अन्य भाषाओं की भी उस में प्रगति हो, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान से अंग्रेजी के हटने के बाद एक-एक भाषा को तरजीह देनी पड़ेगी ...

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : अंग्रेजी कभी नहीं हटेगी।

श्री विभूति मिश्र : आप हट जायेंगे तो अंग्रेजी भी हट जायगी। इन के जैसा मोटा आदमी, जब हम लोग जेल जाते थे तो 1947 के 15 अगस्त के 12 बजे रात तक भी नहीं समझते थे कि अंग्रेज यहां से चला जायगा। ये लोग फिर बुला कर रखे, लेकिन हम नहीं 3596 L.S.—8.

रखना चाहते हैं। इन्होंने जो किताब लिखी है "करन्ट अोरियन्ट" मैं उस पर कमेंट आया है, उस में लिखा है कि इनको अंग्रेजी भी नहीं आती है।

श्री पीलू मोदी : आप को कैसे पढ़ने को मिला ?

श्री विभूति मिश्र : मैं ने पढ़ा है।

श्री पीलू मोदी : अंग्रेजी में पढ़ा है।

श्री विभूति मिश्र : आप अंग्रेजी रखना चाहते हैं तो रखिये, लेकिन इस बात को न भूलिये कि पार्लियामेंट में आज आप मेरी बंदोलत बैठे हुए हैं।

मैं आप से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस परीक्षार्थी ने परीक्षा नहीं दी है, उस को बुला कर, उस के पच्चे को देख कर उस के साथ जस्टिस करें।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य का यह कथन कि मेरे वक्तव्य में विरोधाभास में, सही नहीं है। सामान्य ज्ञान का मतलब जैनरल-नॉल्लिज क पच्चे से है। इस पच्चे का स्तर, मेरा तात्पर्य है जो अंग्रेजी के पच्चे का स्तर है, मेट्रिकुलेशन स्टण्डर्ड का होना चाहिए। आप का कहना है कि वह इस स्टण्डर्ड से ज्यादा है। मुझे यही निवेदन करना है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने वह पर्चा बनाया है, यह हमारे भरती के नियमों के अनुसार है ...

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, प्वाइन्ट ऑर आर्डर। सामान्य ज्ञान के मायने हिन्दी कैसे हो जाते हैं, तल्लु या तामिल कैसे हो जाते हैं। अंग्रेजी के लिए 100 नम्बर रखे हैं और सामान्य ज्ञान के लिए 100 नम्बर रखे हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं यही बतला रहा हूँ—ये दो पच्चे लिखित हैं—एक अंग्रेजी का जिस के 100 मार्क्स हैं और दूसरा जैनरल-नॉल्लिज का जिस के 100 मार्क्स हैं। जैनरल नॉल्लिज के पच्चे का उत्तर हिन्दी में भी

[श्री राम निवास मिर्चा]

दे सकते हैं और अंग्रेजी में भी दे सकते हैं, इस के बारे में परीक्षार्थी की ज्वाएस है। सरकार हमेशा इस बात के लिए प्रत्यन्तशील रही है कि सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा दिया जाय और सदन में समय-समय पर इस की चर्चा भी हुई है कि किस प्रकार बढ़ावा दिया गया है।

इस परीक्षा के बारे में पहले यह स्थिति थी कि 500 नम्बर के पर्चे थे जो सारे-के-सारे अंग्रेजी माध्यम से होते थे। 1971 में हम ने अपने नियमों का बदला। 500 में से 100 नम्बर अंग्रेजी के लिए अनिवार्य रूप से रखा और 400 नम्बर हिन्दी माध्यम के लिए रखा अगर यह भी प्रगति नहीं है तो मैं माननीय सदस्य से क्या कहूँ।

जो अन्य परीक्षाएं हो रही हैं उन की मिसालें दे सकता हूँ। खास तौर से जो हिन्दी जानते हैं, जिन की हिन्दी की जानकारी अच्छी है, हम चाहते हैं कि उन को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाय। हम अपने भरती के नियमों में परिवर्तन कर रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि राजकाज में सरकारी भाषा के रूप में हिन्दी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाय, प्रशिक्षण की व्यवस्था बढ़ाई जाय। भरती के नियमों को बदला जा रहा है। इस परीक्षा के बारे में मैंने अभी आप को बतलाया ही है कि 500 नम्बर जो सारे अंग्रेजी के थे, उन में से 100 नम्बर अंग्रेजी के अनिवार्य पर्चे के लिए रखे गये हैं, जिस का स्टैण्डर्ड मैट्रिकुलेशन का होना चाहिए। मैं इस बात की जांच कराऊंगा कि यह पर्चा मैट्रिकुलेशन स्टैण्डर्ड का है या नहीं। यूनिवर्सल पब्लिक सर्विस कमिशन का ध्यान इस और आकर्षित किया जाएगा कि पर्चा कठिन है या सामान्य स्तर का, मैट्रिकुलेशन स्टैण्डर्ड का है।

सरकार की यही नीति है कि कानून के मुताबिक कदम उठाये जायें, जिस की मिसाल मैंने अभी आप को दी है—अंग्रेजी

को कम किया जाये, विभिन्न परीक्षाओं में उसक नम्बर को कम किया जाय ताकि जो हिन्दी जानते हैं, जो हिन्दी के माध्यम से काम करना चाहते हैं, परीक्षा में बैठना चाहते हैं—उनकी किसी प्रकार की असुविधा न हो।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, पर्चे की जांच ये करेंगे या आप करेंगे। यह कौन देखेगा कि यह मैट्रिकुलेशन स्टैण्डर्ड का है या नहीं।

श्री राम निवास मिर्चा : यूनिवर्सल पब्लिक सर्विस कमिशन है, वह इस की जांच करेंगे। आप की भावना उन तक पहुंचा दी जायेगी।

SHRI C. T. DHANDAPANI (Dharampuram): Will the students coming from Tamil Nadu be allowed to write their UPSC examination in Tamil?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: We support this demand.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: This is not a general question. The question is about the specific examination for selection of stenographers for the Central Government.

श्री हुसैन खन् कछवाय (मुरेना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आप को पत्र लिखा है—आपने ता० 26 को सरकार को आदेश दिया था कि गुरु गोबिन्द सिंह मैडिकल कॉलेज के जो छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं, उस के बारे में स्टेटमेंट दे, लेकिन आप ता० 2 हो गई है ...

MR. SPEAKER: I left it to the Minister. If there is any solution, he should come forward with it.

श्री हुसैन खन् कछवाय : उन की हालत चिन्ताजनक होती जा रही है, रात को डाक्टर उन को देखने के लिए जाता है। जब वे हरियाणा के मुख्य मंत्री से मिले तौ उन को जान से मारने की धौंस दी गई। आप सरकार

से शीघ्र उत्तर दिलाइये या जो नोटिस हम
ने दिये हैं उन को स्वीकार कीजिये, जिस से
कि हम उस पर चर्चा कर सकें ।

SHRI SAMAR GUHA (Contai):
They are committed to it. We have
been told certain negotiations are
going on and Mr. Khadiolkar is also
handling the matter. Let the Minister
make a statement on what they are
thinking.

अध्यक्ष महोदय: आप ठीक बात कह
रहे हैं

श्री हुकम चन्द कडवाय: उन का भ्रान्दो-
लन शान्तिपूर्ण भ्रान्दोलन है, इस लिए सरकार
सुनना नहीं चाहती । जब वे और कदम
उठाएंगे तब सरकार उत्तर देगी ।

(Interruptions).

13.00 hrs.

SHRI PILOO MODY: Sir, I have
written to you to allow me a couple
of minutes to express our feelings on
what we feel about what is happen-
ing in Orissa.

MR. SPEAKER: Shri P. K. Deo
was allowed yesterday.

SHRI PILOO MODY: Since then
several developments have taken place
that require a certain amount of
airing at this moment. Last night
I waited up to mid-night for Shri
Jatti, the Governor of Orissa, to invite
the leader of the Opposition Group,
the Orissa Pragati Legislature Party,
to form a government in Orissa, ten
hours after he has proved in the Rajya
Sabha election that he has a 17-vote
majority in the legislature. The
failure of the Governor of Orissa to
do so could only be construed as a
conspiracy to defraud the Constitu-
tion.

MR. SPEAKER: This is a matter
between the Governor and the MLAs
of Orissa.

SHRI PILOO MODY: It is a matter
between the people and Parliament.
Could it be that the telephone lines

between Delhi and Bhubaneswar are
burning up tonight with high con-
spiracy with a view to discover how
to cheat the Oriya people of their
legitimate government?

MR. SPEAKER: How are we con-
cerned with that? How is this
Parliament concerned with this?

SHRI PILOO MODY: Parliament
is the only body now concerned with
this.

MR. SPEAKER: It is between the
Governor and the MLAs.

SHRI PILOO MODY: When the
Government in Orissa has fallen, if
the Parliament is not concerned, who
is concerned?

MR. SPEAKER: How does it come
here? The Governor is there who
can exercise his discretion.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi):
The Governor is being pressurised by
no less a person than the Congress
President to order fresh poll after
failing in engineering defection.

SHRI PILOO MODY: Dr. Shankar
Dayal Sharma, an hon. Member of this
House, made a statement yesterday
that there should be a fresh poll....
(Interruptions). Only 8½ months ago
the Congress had 48 members there.
All of a sudden, it went up to 83 from
48. I suppose that took place because
of Ayarams and Gayarams.... (In-
terruptions). Exactly the same situa-
tion exists today. If 8½ months ago
they were entitled to form a govern-
ment, what sort of logic is there in
today denying the other party an
opportunity to form a government?
For the Orissa ex-Chief Minister to
talk about Tendu leaves while Maruti
is being discussed in Parliament is,
to say the least, somewhat thick. I
would like to warn Parliament and
this Government that if the institu-
tion of Governors in this country is
going to be used in the fashion by the
Home Minister and by the Prime
Minister, the entire institution would
have to be done away with.... (In-
terruptions).

SHRI P. K. DEO : Sir, on a point of order. When Shri Biswanatha Das resigned, the Congress Party had only 48 members out of 140. The defections were engineered by—(Interruption).

MR. SPEAKER: How is this a point of order? There is no point of order at all. I am not allowing it.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: We are not sitting here to see who forms a Government, who does not form a Government, unless there is something unconstitutional. Who are we at this stage to come in.

(Interruptions).

MR. SPEAKER: There is nothing before the House. Nothing will go on record.

SHRI SURENDRA MOHANTY (Kendrapara): On a point of order, Sir.

MR. SPEAKER: There is nothing before the House. No question of point of order at all.

SHRI SURENDRA MOHANTY: As a protest, I walk out from the House.

Shri Surendra Mohanty then left the House.

(Interruptions).

13.07 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE NOTIFICATIONS ETC.

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF FINANCE (SHRI
K. R. GANESH): I beg to lay on the
Table—

(1) A copy each of the following
Notifications (Hindi and English ver-
sions) under section 159 of the
Customs Act, 1962:—

- (i) G.S.R. 1633 published in
Gazette of India dated the
30th December, 1972 together
with an explanatory memo-
randum. [Placed in Library
See No. LT-4347/73].

(ii) G.S.R. 28 published Gazette of
India dated the 13th January,
1973 together with an explana-
tory memorandum. [Placed in
Library. See No. LT-4338/73.]

(iii) G.S.R. 62(E) published in
Gazette of India dated the
16th February, 1973 together
with an explanatory memo-
randum. [Placed in Library.
See No. LT-4347/73].

(2) A copy of the Central Excise
(Amendment) Rules 1973 (Hindi and
English versions) published in
Notification No. G.S.R. 23(E) in
Gazette of India dated the 19th
January, 1973, under section 38 of the
Central Excises and Salt Act, 1944.
[Placed in Library. See No. LT-4337/
73].

(3) A copy each of the following
Notifications (Hindi and English ver-
sions) issued under the Central Excise
Rules, 1944:—

(i) G.S.R. 1631 published in
Gazette of India dated the
30th December, 1972 together
with an explanatory memo-
randum.

(ii) G.S.R. 11(E) published in
Gazette of India dated the
12th January, 1973 together
with an explanatory memo-
randum.

(iii) G.S.R. 15(E) to 22(E) and
G.S.R. 24(E) published in
Gazette of India dated the
19th January, 1973 together
with an explanatory memo-
randum.

(iv) G.S.R. 60(E) published in
Gazette of India dated the
12th February, 1973 together
with an explanatory memo-
randum.
[Placed in Library. See No.
LT-4339/73].

NOTIFICATION UNDER EXPORT (QUALITY
CONTROL & INSPECTION) ACT, 1963

THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF COMMERCE (SHRI
A. C. GEORGE): I beg to lay on the
Table a copy of Notification No. 50,